

Press Release

The Higher Education Department is pleased to announce newly Central Sponsored Scholarship Schemes for Session 2015-16. The eligible students can apply, online through HP ePass website (i.e. <http://hpepass.egg.gov.in>) & National Scholarship Portal (i.e. <http://scholarships.gov.in>). The following are the details of the schemes:-

1. Post Matric Scholarship for the students with Disability (CSS):

Under this scheme, all students having less than 10% disability (certified by competent medical authority of the state (Governments/UTs) are not eligible & whose parental income from all sources does not exceed ₹ 2,50,000/- per annum are eligible for scholarship (i.e. Compulsory fee + Maintenance Allowance + Additional Allowance) for all courses, provided they are pursuing their studies in Govt./Govt. Aided/Recognized Private Institutions, can apply online through National Scholarship Portal i.e. <http://scholarships.gov.in> upto 31st August, 2015. The guidelines of scheme is also available on Ministry's website www.socialjustice.nic.in

2. Dr. Ambedkar Post-Matric Scholarship (PMS) Scheme for Economically Backward Classes (EBC) to General Category Students (CSS):

Under this Scheme, all students belonging to General Category (other than Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes) whose parents/guardians' total income from all sources, shall not exceed ₹1,00,000/- p.a. are eligible for scholarship (i.e. Maintenance Allowance + Compulsory Fee) for all courses, provided they are pursuing their studies in Govt. / Govt. Aided / Recognized Private Institutions, as regular students. Candidate has to apply online through HP ePass website (i.e. <http://hpepass.egg.gov.in>). The detail guidelines of scheme is also available on Ministry's website www.socialjustice.nic.in

Note:- Under the PMS-EBC Scheme, due to budgetary constraint, in practice, it may not be possible for the Government to provide assistance for giving, scholarship to all eligible students beyond National allocation, as per GOI guidelines.

3. Post-Matric Scholarship (PMS) Scheme to Other Backward Classes (OBC) students (Old Scheme) (CSS):

Under this Scheme, all OBC students whose parents' annual income from all sources does not exceed ₹1,00,000/-, are eligible for full scholarship (i.e. Maintenance Allowance + Compulsory Fee) for all courses, provided they are pursuing their studies in Govt. / Govt. Aided / Recognized Private Institutions, as regular students, will be apply online through HP ePass website (i.e. <http://hpepass.egg.gov.in>), when we advertise through the Press Release. The guidelines of scheme is also available on Ministry's website www.socialjustice.nic.in

Note:- Under the PMS-OBC Scheme, due to budgetary constraint, in practice, it may not be possible for the Government to provide assistance for giving, scholarship to all eligible students beyond National allocation, as per GOI guidelines.

- sd -

(Dinkar Burathoki)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh

Endst. No. EDN-H(10)A(7)2/2009-Advertisements- Shimla, Dated: 12th August, 2015
Copy forwarded to: -

1. The Director, All India Radio Centre, Shimla.
2. The Director, Doordarshan Centre, Shimla.
3. The Editor, The Tribune Newspaper, Shimla.
4. The Editor, The Indian Express Newspaper, Shimla.
5. The Editor, The Times of India Newspaper, Shimla.
6. The Editor, Hindustan Times Newspaper, Shimla.
7. The T.O., IT Cell, DHE HP, with the request to upload the above Press Release on to the Departmental Website.

[Handwritten Signature]

(Dinkar Burathoki)
Director of Higher Education
Himachal Pradesh.

प्रैस विज्ञप्ति 2015-16

उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए निम्नलिखित नई केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं को सन्वाहित किया जा रहा है, जिस के लिए पात्र छात्र/छात्राएँ वेबसाईट www.hpepass.cgg.gov.in और www.scholarships.nic.in पर, छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं: -

1. विकलांग छात्र/छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:-

यह छात्रवृत्ति योजना हिमाचल प्रदेश के स्थाई छात्र/छात्राओं को नहीं देय होगी, जिनकी विकलांगता 40% से कम होगी। इस छात्रवृत्ति के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र, सक्षम चिकित्सक प्राधिकारी से प्रमाणित होना चाहिए और उनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,50,000/- से कम हो, उन्हें सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्वाह भत्ता और आवश्यक फीस की अदायगी नियमानुसार की जायेगी, तथा जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/निजी संस्थान में अध्ययनरत हों। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र छात्र/छात्राएँ वेबसाईट National Scholarship Portal (<http://scholarships.gov.in>) पर वर्ष 2015-16 के लिए 31 अगस्त, 2015 तक आवेदन कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाईट www.socialjustice.nic.in पर भी उपलब्ध है।

2. आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:-

यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/निजी संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹ 1,00,000/- से कम हो। उन्हें सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्वाह भत्ता आवश्यक फीस की अदायगी नियमानुसार की जायेगी। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए छात्र/छात्राएँ HP ePass (<http://hpepass.cgg.gov.in>) वेबसाईट पर वर्ष 2015-16 के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की तिथियों के विज्ञापन की सूचना, प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से की जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाईट www.socialjustice.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, व्यवहारिक रूप से, बजट बाधा के कारण सम्भव नहीं है कि सभी पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जा सके।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पुरानी योजना):-

यह छात्रवृत्ति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगी, जो किसी सरकारी/सरकारी अनुदान प्राप्त/निजी संस्थान में अध्ययनरत हों तथा जिनके माता पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹1,00,000/- से कम हो। उन्हें सभी पाठ्यक्रमों के लिए निर्वाह भत्ता और आवश्यक फीस की अदायगी नियमानुसार की जायेगी। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए छात्र/छात्राएँ HP ePass (<http://hpepass.cgg.gov.in>) वेबसाईट पर वर्ष 2015-16 के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने की तिथियों के विज्ञापन की सूचना, प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से की जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना से सम्बंधित दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाईट www.socialjustice.nic.in पर भी उपलब्ध है।

नोट:- अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, व्यवहारिक रूप से, बजट बाधा के कारण सम्भव नहीं है कि सभी पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जा सके।

(दिनकर बुराथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन सं० ई.डी.एन -एच (10)ए(7)2/2009-प्रैस विज्ञप्ति दिनांक: 13 अगस्त, 2015
प्रतिलिपियां प्रेषित की जा रही हैं: -

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला।
3. सम्पादक, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, शिमला।
4. सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र, शिमला।
5. सम्पादक, आपका फैसला समाचार पत्र, शिमला।
6. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र, शिमला।
7. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, शिमला।
8. सम्पादक, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, शिमला।
9. सम्पादक, हिमाचल दरतक समाचार पत्र, शिमला।
10. तकनीकी अधिकारी, आई. टी. सैल, उच्चतर शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि उक्त प्रस विज्ञप्ति को विभाग की वेबसाईट पर अंकित करने की कृपा करें।


(दिनकर बुराथोकी)
शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।